न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग / 3466–II–15

प्र.कं.   / 2015 पुनरीक्षण

मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 26/x/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26/x/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सल्लू बाई पत्नी भगुन्ता चमार
निवासी ग्राम गोपालपुरा तह. विजावर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ...... अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल विजावर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 92/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11.8.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

यह कि, आवेदक सल्लू बाई ने ग्राम गोपालपुरा में स्थित भूमि ख.नं. 1167/2 रकवा 1.214 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने बावत राजस्व निरीक्षक मण्डल विजावर तहसील विजावन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर से प्र.कं. 92/अ–12/14–15 पर दर्ज कर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 26.7.16 को सीमांकन कर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन की राजस्व निरीक्षक स्वयं के द्वारा आदेश दिनांक 11.8.2015 द्वारा पुष्टि की। अतएव आदेश दिनांक 11.8.2015 के विरूद्ध आवेदक द्वारा उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3466–दो/2016 जिला–छतरपुर

सल्लू बाई विरूद्ध मध्प्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल विजावर जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 92/अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 05/3/2019	